(13)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
01/2018/प्रा.पत्र/2018	16.01.2018	04.07.2019

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1— श्री सत्यनारायण साहू पुत्र रामस्वरूप साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स सत्यनारायण संजय कुमार पेट्रोल पम्प सर्किल के पास कोटा रोड देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं. 7 तेली मोहल्ला देवली जिला टोंक राज0

2— मैसर्स सत्यनारायण संजय कुमार पेट्रोल पम्प सर्किल के पास कोटा रोड देवली जिला टोंक राज0
...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (iv) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—
1—प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2—अप्रार्थी की ओर से श्री पंकज कुमार अभिभाषक उपस्थित

:—निर्णय—: दिनांक 04.07.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.10.2017 को समय 2.20 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स सत्यनारायण संजय कुमार पेट्रोल पम्प सर्किल के पास कोटा रोड देवली जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. की हैसियत से सत्यनारायण साहू पुत्र रामस्वरूप साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स सत्यनारायण संजय कुमार पेट्रोल पम्प सर्किल के पास कोटा रोड देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं. 7 तेली मोहल्ला देवली जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया है।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose)** रखी हुई थी, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, एफ.बी.ओ. श्री सत्यनारायण साहू को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता सत्यनारायण साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे **हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose)** लगभग 12—13 किलोग्राम एक प्लास्टिक कट्टे मे से 2.00 किलोग्राम को नियमानुसार हिलामिलाकर एकरूप कर वास्ते आम जनता को विकय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री सत्यनारायण साहू को रू0 240—अक्षरे दो सो चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose)** 2.00 किलोग्राम को बराबरा—बराबरा चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को साफ व सूखी पोलीथीन मे भरकर व लेबल तैयार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–1742 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1742 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. सत्यनारायण साहू के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कंवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए. / 17 / 4544 दिनांक 02.11.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0 / 646 / एक्ट / 2017 / 646 दिनांक 23. 10.2017 अनुसार सत्यनारायण साहू से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **कॉन्ट्रावेन(Contravene)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **कॉन्ट्रावेन(Contravene)** स्तर का **हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose)**का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (iv) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose)**का विकय कर रहा था वह जांच में **कॉन्ट्रावेन(Contravene)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose)**का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन(Contravene)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (iv) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 अप्रार्थी श्री सत्यनारायण साहू पुत्र रामस्वरूप साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स सत्यनारायण संजय कुमार पेट्रोल पम्प सर्किल के पास कोटा रोड देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं. 7 तेली मोहल्ला देवली जिला टोंक राज0 पर शास्ती 5,000 / – (अक्षरे पांच हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 04.07.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक--राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

844

Scanned by CamScanner